इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 जून 2021—ज्येष्ठ 27, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2021

क्र. एफ ए 3-05-2021-1-पांच (39).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2021" है.

(2) ये नियम अप्रैल 2021 के 27 वें दिन से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. नियम 26 में, उपनियम (1) में तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 27 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक की कालावधि के दौरान धारा 39 के अधीन प्ररूप जी एस टी आर-1 में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को तथा धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर 1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (इवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने को भी अनुज्ञात किया जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2021

क्र. एफ ए 3-05-2021-1-पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-05-2021-1-पांच (39), दिनांक 17 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 17th June 2021

No. F A 3-05-2021-1-V-(39).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

1. (1) These rules may be called the "Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021".

   (2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 27th day of April, 2021.

2. In rule 26, in sub-rule (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—.

"Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall during the period from the 27th day of April, 2021 to the 31st day of May, 2021, also be allowed to furnish the return under section 39 in FORM GSTR-3B and the details of outward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 or using invoice furnishing facility verified through Electronic Verification Code (EVC).".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.